सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
प्रेमनाथ पुत्र पतानाथ जाति जोगी, निवासी नया नागड़दा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (03)		पतानाथ पुत्र सुरतनाथ जाति जोगी, निवासी नया नागड़दा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (16)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) **मुकदमा नम्बर 257/2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.08.2024	प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से .11 की सयुंक्त एवं पैतृक सहदायिकी खातेदारी का खेत मौजा नया नागड़दा, तहसील शिव् के खसरा नम्बर 195 रकबा 2.7519 हैक्टेयर तथा मौजा साजीतड़ा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 66 रकबा 6.7016 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त आराजी विप्रार्थी संख्या 1 को उनके पिता स्व0 सुरतनाथ से विरासत मे प्राप्त हुई है। उक्त विवादित आराजी पैतृक होने से प्रार्थीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत हक हिस्सा बनता है तथा मौके पर भी प्रार्थीगण के काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त विवादित आराजी में वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों का अनुचित लाभ उठाकर अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान करवा दिया गया है, जो प्रारंभतः शून्य दस्तावेज है तथा उक्त हस्तांतरण से नवीन क्रेता खातेदार प्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्त से बेदखल करने पर आमादा है, जबकि संयुक्त पैतृक खातेदारी भूमि में विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये और प्रार्थीगण को उनके पुश्तैनी कब्जा काश्त व हक हिस्सा वाली भूमि से बेदखल किया जाता है या भूमि को खुर्द बुर्द या अन्य हस्तांतरण किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने, हस्तांतरण नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी विप्रार्थी संख्या 1 को उनके पिता स्व0 [illegible] से प्राप्त होने से उक्त आराजी में प्रार्थीगण का पैतृक रूप से [illegible] हिस्सा निहित है एवं प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया [illegible] एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। पैतृक खातेदारी भूमि [illegible] विधिक वारिशान का बराबर हक हिस्सा निहित होता है। यदि विप्रार्थीगण [illegible] प्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जा काश्त में दखलंदाजी की जाकर उसे बेदखल किया जाता है अथवा भूमि का अजनबी क्रेताओं को बैचान किया जाता है तो इससे पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि में अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रार्थीगण को अपने पैतृक खातेदारी अधिकारों से भी महरूम रहना पड़ेगा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:19:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.10.25	पत्रावली पेश। बाकुलाल उपस्थित। चूंकि उक्त आवेदन का मूल वाद जरिये डिक्री खारिज किया जा चुका है। अतः मूल वाद के खारिज होने पर उक्त आवेदन का कोई औचित्य एवं महत्व नहीं होने से उक्त आवेदन भी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:19:28 IST
Reason: SelfAttested